

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ-/सा.प्र.वि./शि.जां./19/1635

भिलाई, दिनांक 20/11/19

// आदेश//

श्री रामसुजान मिश्रा, हेल्पर/कलीनर जोनक्र.- 03 मदर टेरेसा नगर, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे कार्य हेतु संलग्न किया गया। उनके द्वारा सर्वे कार्य नहीं किया गया। अनुपरिथिति के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ-379/1/सा.प्र.वि./17/1342 भिलाई, दिनांक 28/09/2017 के द्वारा आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची जारी किया गया।

श्री रामसुजान मिश्रा, हेल्पर/कलीनर के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुये श्री तरुण पाल लहरे उपायुक्त को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री वेशराम सिन्हा, उप अभियंता को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त अभिमत एवं गवाहों के बयान के आधार पर श्री रामसुजान मिश्रा, हेल्पर/कलीनर नगर पालिक निगम भिलाई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में किसी प्रकार का दोषी प्रतीत नहीं होने के कारण भविष्य में उक्त कार्य की पुनरावृत्ती न हो की चेतावनी देते हुए विभागीय जांच समाप्त की जाती है।

  
(अर्धत्रज रघुवंशी)  
आई.ए.एस

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
 भिलाई

पू.क्र./एफ-/1 /सा.प्र.वि./शि.जां./19/1636

भिलाई, दिनांक 20/11/19

प्रतिलिपि :-

- महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- उपायुक्त 1/2 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- उपसंचालक, रथानीय संपरीक्षक राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- लेखाधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- अधीक्षक रथापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत नस्ती में रखे।
- प्रोग्रामर डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- निज सहायक, आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- प्रभारी लिपिक रथापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- श्री रामसुजान मिश्रा, हेल्पर/कलीनर नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
 भिलाई

janch